

Bentham : Judicial system, Punishment & Regarding Jail Reforms

Part - 4

बेन्थम इंग्लैंड में न्यायाधीश प्रणाली - व्यवस्था से काफी खुश था। न्यायाधीश प्रणाली - व्यवस्था अलग ही दोषपूर्ण तथा राज्य समाज के लिए अपमानजनक माना जा सकता था। बेन्थम के ही शब्दों में "इस देश में न्याय केना जाता है और बड़े पैमाने पर केना जाता है, जो व्यक्ति मूल्य नहीं पूका सकता वह न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकता।" अतः गरीबों का न्याय मिलना कठिन ही नहीं असम्भव की जा। कानून बहुत क्लिष्ट और न समझ पाने योग्य भाषा में बना जाते थे। अतः उसकी व्याख्या के लिए वकीलों की आवश्यकता बराबर बनी रहती थी। इस तरह अधिक व्यय, समय की बर्बादी और अनिश्चितता न्यायाधीश प्रणाली की विशेषताएँ बन गयी थी।

बेन्थम ने उस समय प्रचलित न्याय व्यवस्था की कई आलोचना की और उसमें व्यापक सुविधाएँ सुझावों की आवश्यकता पर बल दिया। इस दृष्टि में उसने न्यायाधीशों की नियुक्ति को दूर करने और उनमें उच्च न्याय की मानकों को जागृत करने तथा न्याय को कम खर्चीला और सर्वसुलभ बनाने के लिए कई सुझावों को सुझाव दिये जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड की न्याय - व्यवस्था में कई मौलिक और सुविधाएँ सुझाव हुए और उसका सही दिशा में न्याय व्यवस्था सुझाव सम्पन्न हुआ।

बेन्थम ने दण्ड व्यवस्था और जेल सुधार के सम्बन्ध में उपलब्धिताएँ दृष्टिकोण से चित्रित किया तथा उसी अनुसंधान में सुधार के लिए सुझाव दिये। बेन्थम इंग्लैंड में प्रचलित दण्ड व्यवस्था से बहुत ही असंतुष्ट था। उस समय इंग्लैंड की प्रचलित दण्ड व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। उसका

मानना था कि यह व्यवस्था में ही सामाजिक हिंसा के अनुकूल थी और न अपराधी को अपराध करने से विमुक्त करने में समर्थ थी। उसका मानना था कि दण्ड का उद्देश्य बदला लेना नहीं, बरन अपराधी और समाज के पुनर्वास का होना चाहिए और इसलिए दण्ड की मात्रा, अपराध की मात्रा, और गम्भीरता के अनुपात में ही होनी चाहिए। न वह उन्नत जगहों पर होनी चाहिए न कम, क्योंकि दोनों की दिशाओं में दण्ड व्यवस्था समाज पुनर्वास को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल करेगी अतः सामाजिक व्यवस्था ही दण्ड व्यवस्था का मापदण्ड होना चाहिए।

इस अवस्था में कि वेल्स अपराधियों को अपराध के दण्ड निर्धारित करने समर्थ विनियमों को बनाए रखने की बात कहते हैं।

1. वे विनियमों में जिनमें अपराधी अपराध करने के लिए प्रेरित हुआ।
2. अपराध की प्रकृति के साथ, गम्भीरता सामान्य।
3. अपराध करने में अपराधी का उद्देश्य बना था।
4. अपराध द्वारा किस प्रकार से समाज को हानि पहुँची है।

वेल्स का मानना है कि दण्ड देने के उद्देश्य विनियम में होना चाहिए:

- a. दण्ड अपराध की मात्रा के अनुपात में हो।
- b. दण्ड का उद्देश्य अपराधी को अनावश्यक जीवा पालना न हो तथा एक ~~व्यक्ति~~ जैसे अपराधी के लिए दण्ड की सामान्य व्यवस्था हो।
- c. दण्ड का आइरा हो अतः विचारपूर्वक हो।
- d. दण्ड का उद्देश्य अपराधी को समाज का पुनर्वास करना हो।
- e. दण्ड के द्वारा उस व्यक्ति की क्षमता को जानने जिसको अपराधी के साथ है।
- (f) अपराधी को लोकप्रियता से दूर रखा जाने, नहीं तो दण्ड का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए होगा।
- (g) अपराध के पुनरावलोकन की व्यवस्था हो, ताकि

गलत रूप से दिये गये दण्ड में आवश्यक परिवर्तन सम्पन्न हो सके।

डेविडसन ने भी कहा है कि "बेल्जियम का विचार था कि दण्ड देने में मानवीयता पुनर्प्राप्त होना चाहिए।" इस प्रकार इन विचारों को ध्यान में रखते हुए दण्ड व्यवस्था का सामरिक होने के कारण बेल्जियम सरकार को दण्ड के केवल सम्मोह अपराधों के लिए मृत्युदण्ड का प्रस्तावना Suggestions regarding Jail Reforms :- तत्कालीन विविध जेलखानों की दशा अलग-अलग हो सकती थी और अखिल भारतीय स्तर पर अपराधियों के लक्षणों में पर्याप्त अंतरांतर किया जाता था। बेल्जियम सरकार ने जेल की सामरिक व्यवस्था को काफी अधिक और विस्तृत था। बेल्जियम जेल के इस परिवर्तन को स्वीकार करता आया था और उन्हें सुचारु रूप में परिवर्तित करता आया था और अपराधियों को सजा करने के दौरान सामरिक काम का प्रदर्शन दिया जा सके, ताकि सजा करने के बाद जेल के बाहर आने पर वे एक उपयोगी और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

इस प्रकार बेल्जियम ने लगातार मानव जीवन के हर क्षेत्र में सुधारों की योजना प्रस्तुत की तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आन्दोलन कर जनमानस को प्रेरित किया। फलतः सामान्य सुधार के क्षेत्र में उसका योगदान महान है। इससे बेल्जियम ने भी कहा है कि

एक जिदगरी वाला जीवित है बिना में कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ जिसका मूल प्रेरणा शक्ति बेल्जियम नहीं रहा हो।"